न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम मेघरास तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 141/2017 प्रार्थनापत्र

अनवान

1 कालु सिंह पिता प्रेम सिंह राजपूत नि0 सादास तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
2 नाहर सिंह पिता प्रेम सिंह राजपूत नि0 सादास तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

---------प्रार्थीगण

बनाम

1 भैरू पिता रूपा चमार नि0 सादास तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
2 लक्ष्मण पिता धूकल चमार नि0 सादास तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
3 उगमी पुत्री धूकल चमार नि0 सादास तहसील बनेडा मृतका के बजाय
3/1 सुखदेव माता उगमी पिता उदा बैरवा उम्र वयस्क निवासी थरोदो का खेडा (धनपुरा) तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3/2 मोहन माता उगमी पिता उदा बैरवा उम्र वयस्क निवासी थरोदो का खेडा (धनपुरा) तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3/3 शान्ति माता उगमी पत्नि रामा बैरवा उम्र वयस्क निवासी सनोदिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3/4 कमला माता उगमी पत्नि गोपाल बैरवा उम्र वयस्क उम्र वयस्क निवासी थाकरा का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3/5 मोहनी माता उगमी पत्नि कालु बैरवा उम्र वयस्क निवासी जालमपुरा पोस्ट बरसनी तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3/6 चम्पा माता उगमी पत्नि चतरा बैरवा उम्र वयस्क निवासी सादास तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4 नानु पिता धूकल चमार नि0 सादास तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
5 एजन पुत्री धूकल चमार नि0 सादास तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
7 बैंक ऑफ बडौदा ग्रामीण बैंक शाखा बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

---------अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन

उपस्थित –

1 श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता प्रार्थीगण)

::निर्णय::

दिनांक – 11.06.2018

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा राज.

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रकरण माननीय भु–प्रबन्ध अधिकारी एंव राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा से इस न्यायालय द्वारा इसी प्रकरण संख्या 44/2013 में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2016 को श्रीमान द्वारा अपास्त करते हुए प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि प्रकरण में विपक्षी संख्या 03 का देहान्त दौराने विचारण वाद हो जाने के कारण मृतका विपक्षी के विधिक कायम मुकाम को विधिक प्रकिया अपनाते हुए रिकार्ड पर लिया जाकर उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, गुणावगुण पर युक्तियुक्त निर्णय पारित करें, साथ में उभयपक्षो को यह भी निर्देशित किया गया कि इस न्यायालय में सुनवाई दिनांक 12.09.2017 को दोनो पक्ष उपस्थित रहें। इस प्रकार प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने से पत्रावली को बाद जांच पुनः बाद दायर किया जाकर सुनवाई दिनांक 12.10.2017 को प्रार्थीगण की और से नियत विद्वान अधिवक्ता श्री मुरारी जोशी को मृतका विपक्षी सख्या 03 का कायम मुकाम प्रार्थनापत्र विहित समयावधि में प्रस्तुतिकरण के लिए निर्देशित किया गया। सुनवाई दिनांक 06.02.2018 को प्रार्थीगण अधिवक्ता ने मृतका विपक्षी संख्या 03 के कायम मुकाम रिकार्ड पर लिये जाने आशय से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया, तथा संलग्न कायम मुकाम सम्मन प्रोसेस से विपक्षी 03 के विधिक प्रतिनिधियों की तलबी की गई। इसी दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम मेघरास दिनांक 11.06.2018 के लिए पंजीबद्ध किया गया। तथा प्रकरण की केम्प कोर्ट में सुनवाई के लिए पक्षकरान उभयपक्षों को सुचनापत्र जारी किये गये। मृतका विपक्षी संख्या 03 के समस्त कायम मुकामो के सम्मन बाद तामील लौटकर प्राप्त, किन्तु अपना पक्ष रखने के लिए नियम शिविर के दौरान कोई हाजिर नही आया, लिहाजा विरूद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है।

वकील प्रार्थी/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया है, एंव न्यायालय द्वारा जारी सम्मनो के संदर्भ में अन्य विपक्षिगणो द्वारा कोई प्रतिरोध पैश नही किया गया।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा सादास पटवार मण्डल मेघरास तहसील बनेडा स्थित आराजी न0 26 रकबा 2–13 बीघा प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। एंव प्रार्थी के स्वंय के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से अडौसी–पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजी तक पहुंचना पडता है। पुर्व में विपक्षिगणो की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है।

उपखण्ड अधिकारी बनेडा
जिला भीलवाड़ा राज.

परन्तु अब अप्रार्थीगणो द्वारा रूकावट किये जाने से विपक्षिगणो की आराजी सं0 24, 24/1, 25 की पूर्वी दिशा की मेर के सहारे–सहारे 14–15 फिट रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में हल्का पटवारी मेघरास द्वारा तरतीब दिया पर्चा मौका, रिपोर्ट तहसीलदार बनेडा, भु0अ0निरीक्षक उपरेडा, पटवारी हल्का नजरी नक्शा, प्रस्तावित नक्शा ट्रेस, एंव जमाबन्दी रिकार्ड पर उपलब्ध है।

मेने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया, विवादित आराजीयात ग्राम सादास पटवार हल्का मेघरास तहसील बनेडा में स्थित होकर प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 के नाम पर आराजी संख्या 24, 24/1, 25 दर्ज रेकार्ड है, जिसकी ताईद जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 से होती है। प्रस्तुत दस्तावेजो एंव प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यो के अनुसार प्रार्थी अपनी आराजीयात में पंहुचने हेतु विपक्षीगण के खाते व कब्जेकाश्त आराजीयात में से रास्ता चाहता है। क्यों कि प्रार्थीगण के खाते व कब्जेकाश्त की आराजीयात में से सस्ता व सुगम रास्ता विपक्षीगण की आराजीयात में से ही है, इस बाबत तहसीलदार के रिपोर्ट अवलोकन से भी प्रार्थीगण को विपक्षीगण की आराजीयात में से ही रास्ते बाबत अभिशंषा कि है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विपक्षीगण की आराजीयात में से रास्ता दिये जाने हेतु या तो डी0एल0सी0 दर के अनुसार भुगतान किया जावें, या भूमि के बदले भूमि दी जावे, इस बाबत प्रार्थीगण सहमत है।

उपरोक्त विवेचन एंव विष्लेशण के परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के पूर्ववृति पारित आदेश दिनांक 28.05.2016 को यथावत रखते हुए, ग्राम सादास पटवार हल्का मेघरास तहसील बनेडा मे स्थित आराजी संख्या 24, 24/1, 25 जो विपक्षीगण के खाते के होने से प्रार्थी रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि जिसका क्षैत्रफल 0--08 बिस्वा भूमि यानि 22.75 फिट चौडाई के आधार पर प्रार्थी के आराजी में जाने हेतु रास्ते के उपयोग में आने से प्रार्थी विपक्षीगण को प्रस्तावित रकबा जो विपक्षीगण के खाते में से कम होकर रास्ते हेतु उपयोग में आने से बिलानाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते हुए नक्शे में तरमीम करने के आदेश दिये जाते है। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी न0 24, 24/1, 25 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसीलदार बनेडा के यहा प्रचलित डी0एल0सी0 की दर प्रति बीघा अनुसार 00–08 बिस्वा की मालियत राशि की दुगुनी राशि (0.08 बिस्वा की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम मेघरास में सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाडा
जिला भीलवाड़ा, राज.